कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 693 /11–सी–FP/UP/Approach/153338/2022, लखनऊ, दिनांकः अगस्त 26 ,2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर।

विषयः– जनपद–देवरिया में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 द्वारा देवरिया–कसया मार्ग (एस0एच0–79) के किमी0 नं0–11 (चैनेज सं0–100) के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं0–418, ग्राम–सिरसिया, तहसील व जिला–देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 05 पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक–387/2–6, दिनांक 16.08.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1. प्रस्ताव में पातन होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है किन्तु ऑनलाइन भाग–2 के अनुसार व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सूची संलग्न नहीं है।
2. मानक शर्तो के मान्य होने की वचनबद्धता संलग्न है, किन्तु वचनबद्धता प्रमाण–पत्र पर प्रयोक्ता एजेंसी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम अंकित नहीं है।
3. प्रभावित वनभूमि के सापेक्ष 100 वृक्षों का क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न किया गया है, जोकि भारत सरकार के निर्देशानुसार नहीं है। अतः 100 वृक्षों का प्राक्कलन प्रस्ताव से पृथक कर 150 वृक्षों का क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में धनराशि सहित अपलोड करें।
4. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(iii) में अपलोड किये गये Geo Referenced Digital Map पर प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
5. वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता संलग्न है, किन्तु वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
6. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–6 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है। अतः सही डाटा फीड करें।
7. हार्डकापी भाग–2 में CA की संशोधित धनराशि एवं सही प्रस्ताव सं0 का उल्लेख कर संशोधित हार्डकापी भाग–2 संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
8. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–16 में प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति अपलोड नहीं है।
9. प्रस्ताव में संलग्न पेनड्राइव में पूर्ण प्रस्ताव की सभी अभिलेखों की अलग–अलग पी0डी0एफ0 फाइल अपलोड की गयी है, जोकि त्रुटिपूर्ण है अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की एक पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर तीनों प्रस्तावों में संलग्न करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियॉ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 693 /11–सी–FP/UP/Approach/153338/2022, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, देवरिया।
2. टेरीटरी मैनेजर, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0, गोरखपुर प्रादेशिक कार्यालय, बैतालपुर डिपों, देवरिया।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

O/c

Acy-1037